उक्त अधिसूचना में, –

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में, मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथाः–

"(iii) भू–स्वामी–प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर–प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट में निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू–स्वामी–प्रमोटर द्वारा की जानी है।";

(ख) क्रम संख्या 25 में,–

(i) कॉलम (3) में, मद (iक) के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (3),(4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
"(iख) जहाज या अन्य जलयान उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएं।	2.5	."

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "और (iक)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द", (iक) और (iख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 2/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub- section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No.

11/2017-State Tax (Rate) dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3) , in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely—

"(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilize the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project." ;

(b) in serial number 25,—

(i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely –

(3)	(4)	(5)
"(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-"

(ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, figures and letter " and (ia)", the brackets, figures, letter and word ",(ia) and (ib)" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

By order,
Sd/-
(Jagdish Chander Sharma),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 3 / 2021—राज्य कर (दर)

शिमला—2, 16 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2021—वॉल—1.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 06 / 2019—राज्य कर (दर) दिनांक 06—05—2019 जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन (एफ)10—09 / 2019, दिनांक 08—05—2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः—